प्रवेश विवरणिका

सत्र 2024–25

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगतपुर, वाराणसी

- प्रवेश फार्म वितरण तिथि — दिनांकः 17 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024
- काउंसलिंग — दिनांकः 01 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ

Website: www.jppgc.com **E-mail: jpgc_vns@yahoo.in**

प्रवेश फॉर्म का मूल्य

रू. 600.00 मात्र

"पहले आओ, पहले पाओ"

नोटः–महाविद्यालय में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ दिनांकः 01 जुलाई, 2024 से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संस्था का संक्षिप्त परिचय

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी शहर से 9 कि0मी0 दूर पश्चिम दिशा में वाराणसी–इलाहाबाद जी.टी. रोड पर वर्ष 1971 में हुई। ग्रामीण अंचल में अवस्थित महाविद्यालय का उद्देश्य सदा से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान एवं कौशल का विकास कर आत्मनिर्भर बनाना व प्रबुद्ध एवं राष्ट्रीय चेतना से सम्पन्न नागरिक–समुदाय विकसित करना है।

प्रारम्भ में महाविद्यालय को स्नातक कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता तत्कालीन गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से प्राप्त हुई जो समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के सर्वथा अनुरूप थी। तत्पश्चात् स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, इतिहास, स्नातक वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की मान्यता वर्ष 1996 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त हुई। यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर अप्लीकेशन व पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक विषयों का शिक्षण सर्वप्रथम इसी महाविद्यालय द्वारा प्रारम्भ हुआ। महाविद्यालय ने पारम्परिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा के बढ़ते आयाम के इस क्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए स्नातक स्तर पर बी.सी.ए. संकाय व स्नातक विज्ञान संकाय में वोकेशनल विषय बायोटेक्नोलॉजी व इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का शिक्षण कार्य अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला के साथ वर्ष 2003 में प्रारम्भ हुआ। स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान, गणित व भौतिक विज्ञान विषय एवं स्नातक स्तर पर बी.एफ.ए., बी.बी.ए. विषयों का अध्ययन भी वर्ष 2021 से प्रारम्भ हो गया है।

वर्तमान में महाविद्यालय छात्र सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित है। इस दिशा में महाविद्यालय ने संकायवार आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित भवनों का निर्माण कराया। प्रायोगिक विषयों हेतु उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय (एक लाख से अधिक पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ) उपलब्ध है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आधुनिक साज सज्जा से युक्त बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण, विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे सेमिनार, व्याख्यान–माला, कार्यशाला, युवा महोत्सव, वार्षिकोत्सव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय द्वारा कराया गया।

वर्ष 2009 से महाविद्यालय की सम्बद्धता महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से हुई। तदुपरान्त विकास यात्रा को जारी रखते हुए महाविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर पर गृहविज्ञान, हिन्दी, मनोविज्ञान व एम.काम. की सम्बद्धता भी प्राप्त की। वर्ष 2012 में महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद् (NAAC) द्वारा 'B' श्रेणी प्रदान किया गया।

विद्यार्थियों के खेल सुविधा के दृष्टिगत अत्याधुनिक वॉलीबाल कोर्ट, बैडमिण्टन कोर्ट, बास्केटवॉल कोर्ट की व्यवस्था की गयी। नई शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिगत स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक कम्प्यूटर, आधुनिक स्मार्ट कक्षों का निर्माण कराया गया। आधुनिक संसाधनों से युक्त कान्फ्रेन्स हाल का निमार्ण महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को सुगमता के साथ संचालित करते हुये प्रोफेशनल स्किल का संवर्धन करने में महती भूमिका निभा रहा है।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का शुल्क विवरण

स्नातक प्रथम वर्ष : रू. 600/– मात्र द्वितीय एवं तृतीय : रू. 300/– मात्र

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरः रू. 600/–मात्र

प्रवेश सम्बन्धी सूचना

(पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सत्र 2024–25 का प्रवेश)

1. **(क)** सत्र 2024–25 में स्नातक (बी.ए., बी.काम., बी.एस–सी., बी.सी.ए., बी.बी.ए. एवं बी.एफ.ए) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पूर्व निर्धारित संख्या में किया जायेगा।

   (ख) एम.ए. प्रथम वर्ष (हिन्दी/मनोविज्ञान/अंग्रेजी/इतिहास/समाजशास्त्र/गृहविज्ञान) में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (हिन्दी/मनोविज्ञान/अंग्रेजी/इतिहास/समाजशास्त्र/गृहविज्ञान) के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   (ग) एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   (घ) एम.एस–सी. प्रथम वर्ष में (रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान/गणित) में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. स्नातक स्तर पर 40% से कम अंक प्राप्त प्रवेशार्थी का प्रवेश विचारणीय नहीं है। **स्ववित्तपोषित विषयों में इसे प्रवेश समिति शिथिल कर सकती है।**
3. **तीन वर्ष से अधिक अंतराल (2021 के पूर्व स्नातक उत्तीर्ण) के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा। स्ववित्तपोषित विषयों में इसे प्रवेश समिति शिथिल कर सकती है।**
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्चात् किसी भी संकाय में कोई प्रवेश नहीं होगा।
5. यदि कोई प्रवेशार्थी विकल्प स्वरूप एक से अधिक संकायों में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र भरना चाहता है तो उसे **प्रत्येक संकाय के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भरना आवश्यक** है। किसी भी अवस्था में **एक संकाय से दूसरे संकाय में आवेदन पत्रों का स्थानान्तरण** नहीं होगा।

6. <u>एम.ए./एम.काम./एमएस–सी. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है–</u>

(1) एम.ए. समाजशास्त्र	60 सीट	(2) एम.ए. मध्यकालीन इतिहास	60 सीट
(3) एम.ए. अंग्रेजी	60 सीट	(4) एम.ए. हिन्दी	60 सीट
(5) एम.ए. गृहविज्ञान	30 सीट	(6) एम.ए. मनोविज्ञान	30 सीट
(7) एम.एस–सी. भातिक विज्ञान	30 सीट	(8) एम.एस–सी. रसायन विज्ञान	30 सीट
(9) एम.एस–सी. गणित	60 सीट	(10) एम.काम.	60 सीट

7. <u>बी.ए./बी.काम./बी.एस–सी./बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.एफ.ए. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्यां निम्नानुसार है–</u>

(1) कला संकाय	1500 सीट	(2) वाणिज्य संकाय	376 सीट
(3) विज्ञान संकाय	640 सीट	(4) बी.सी.ए.	60 सीट
(5) बी.बी.ए.	60 सीट	(6) बी.एफ.ए.	30 सीट

महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग में अभ्यर्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जातियों को ही देय होगा। जाति प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी के जाति का उल्लेख होना आवश्यक है। जाति का उल्लेख न होने पर या अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र पर अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति का उल्लेख होने पर या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र पर अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का उल्लेख होने पर आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का माना जायेगा। **आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा। उपरोक्त सीटों पर निम्न प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा।**

(क)			(ख) (क) के अन्तर्गत (ख) आरक्षण प्रदान किया जायेगा		
1	अनुसूचित जाति	21%	1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	2%
2	अनुसूचित जनजाति	2%	2	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को	5%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	3	विकलांग अभ्यर्थी	3%
4	सामान्य	50%	4	महिला (शासनादेश सं0 1191/70–2–2010(58)79 दिनांकः 11 जून, 2010	20%

इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को 10% स्थान पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। EWS का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए।

प्रवेश नियम

1. **पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।**
2. विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन के आरोपों का जब तक विश्वविद्यालय से निराकरण नहीं हो जाता सम्बन्धित छात्र–छात्रा का स्थायी/अस्थायी प्रवेश नहीं होगा।
3. किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. **अभ्यर्थियों द्वारा जमा आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं दिया जायेगा।**
5. प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्र की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देंगे।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संयोजक के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रवेशार्थी से स्वप्रमाणित कराकर जमा कर लिया जायेगा। जाति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में दर्शाये गये स्थायी निवास के जनपद का ही मान्य होगा। तीन वर्ष के पूर्व की तिथि का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पैरा 4(क) (2) में वर्णित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, पेंशन प्रपत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आश्रित होने का प्रमाण, हलफनामे द्वारा प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा पेंशन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं हलफनामे की मूल प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिको के आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2015'' में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्र को भी सम्मिलित किया गया है।

   उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिको के आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) में प्रावधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जैसा उक्त अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (61) में परिभाषित है के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
8. सैनिक, भूतपूर्व तथा पैरा सैनिक बल के आश्रित (पैरा 4 क(3) में वर्णित अपने पिता के पेंशन–पत्र व परिचय पत्र की एक–एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपने आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

9. विकलांग अभ्यर्थी पैरा 4(4) में वर्णित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण–पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
10. आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अर्ह प्रवेशार्थियों को प्रथम दृष्ट्या अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। जाति प्रमाण–पत्र सम्यक् जांचोपरान्त ही उनका प्रवेश नियमित किया जायेगा।
11. किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देते समय **आचरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा** करना अनिवार्य है।
12. **प्रवेश समिति के संयोजक के हस्ताक्षर युक्त प्रवेश आवेदन पत्र को रजिस्टर पर अंकित कर कार्यालय को शुल्क जमा करने हेतु भेजा जायेगा। शुल्क निर्धारित तिथि पर जमा करना आवश्यक होगा।**
13. **प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।**
14. महाविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताये किसी भी छात्र का प्रवेश अस्वीकृत कर सकता है।

शपथ–पत्र

जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण–संस्था से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते है तथा उनके अध्ययन काल में अंतराल है, उन्हे अध्ययन अंतराल एवं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हलफनामा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है–

1. यह कि मैने सत्र (पिछले सत्र)............................में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया हूँ।
2. यह कि मैं सत्र ....में...........................के कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर न पढ़ सका।
3. यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी आपराधिक धारा के अर्न्तगत न तो दण्डित हूँ और न ही इस प्रकार का कोई मुकदमा मेरे विरुद्ध अदालत में विचाराधीन है। (यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें।)
4. यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करुँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा।
5. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषयगत अनिवार्य मेजर प्रश्न–पत्रों के चयन सम्बन्धी नियम

सभी संकायों के स्नातक स्तर पर विषयगत प्रश्न–पत्रों का चयन बी.ए., बी.एस–सी., बी.कॉम. के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन मेजर, एक माइनर (इलेक्टिव), एक वोकेशनल (स्किल डेवलपमेंट) तथा एक सहपाठ्यक्रम (अनिवार्य प्रश्न–पत्र) इस प्रकार (3+1+1+1) कुल छः प्रश्न–पत्रों का चयन करना होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विभिन्न संकाय

संकाय विषयों का समूह है यथा–

कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
(Faculty of Arts, Humanities and Social Science)
भाषा संकाय
(Faculty of Language)
विज्ञान संकाय
(Faculty of Science)
वाणिज्य संकाय
(Faculty of Commerce)
(संकाय निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन आदेश संख्या 12/सत्तर–3–2021–12(26)/2011 दिनांकः 15 जुन, 2021 के अनुसार वर्गीकृत)

कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान संकाय के विषय एवं भाषा संकाय
मुख्य विषय (Major Subject)
Subject: Faculty of Arts, Humanities and Social Science and Language

1- Economics (अर्थशास्त्र)
2- Education (शिक्षाशास्त्र)
3- Political Science (राजनीति शास्त्र)
4- Geography (भूगोल)
5- Home Science (गृहविज्ञान)
6-Journalism (पत्रकारिता)
7-Psychology (मनोविज्ञान)
8- Med. &Modern History (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास)
9- Defence & Strategic Studies (सैन्य विज्ञान)
10- Sociology (समाजशास्त्र)
11- Hindi (हिन्दी)
12- English (अंग्रेजी)
13- Sanskrit (संस्कृत)

नोटः– निम्न विषयों की कक्षाएं महाविद्यालय की समय–सारिणी में एक साथ चलेंगी। इसे दृष्टिगत रखते हुये निम्न विषय एक साथ नहीं दिये जायेगें।

1. इतिहास विषय के साथ भूगोल नहीं दिया जायेगा।
2. अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय एक साथ नहीं दिया जायेगा।
3. शिक्षाशास्त्र विषय के साथ अर्थशास्त्र नहीं दिया जायेगा।

माइनर इलेक्टिव (Minor Elective)

1. Business Communication

कौशल विकास पाठ्यक्रम कला संकाय (Vocational/Skill Development Course)

1. साइकोलाजिकल टेस्टिंग
2. विज्ञापन

सहपाठ्यक्रम (Co-Curricular)

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

Subject : Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

मुख्य विषय (Major Subject)

1-Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
2-Physics (भैतिकी विज्ञान)
3-Botany (वनस्पति विज्ञान)
4-Statistics (सांख्यिकी)
5-Chemistry (रसायन विज्ञान)
6-Zoology (प्राणि विज्ञान)
7-Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)
8-Mathematics (गणित)
8-Industrial Microbiology (औद्योगिकी सूक्ष्म जीव विज्ञान)

माइनर इलेक्टिव (Minor Elective)

1. Business Economics

कौशल विकास पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय (Vocational/Skill Development Course)

1. मार्केटिंग एण्ड सेल्समैनशिप

सहपाठ्यक्रम (Co-Curricular)

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

Subject : Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

मुख्य विषय (Major Subject)

Semester I: Major Paper Compulsory

1. Business Organization
2. Business Statistics
3. Business Communication

माइनर इलेक्टिव (Minor Elective)

1. Basic Economics

कौशल विकास पाठ्यक्रम वाणिज्य संकाय (Vocational/Skill Development Course)

1. ई–टैक्सेशन

सहपाठ्यक्रम (Co-Curricular)

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Other Professional Courses)

1. **बी.सी.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्रम**
2. **बी.बी.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्र**
3. **बी.एफ.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता

1. **बी.ए.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।
2. **बी.एस.सी.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में विज्ञान वर्ग के विषयों के साथ उत्तीर्ण।
3. **बी.कॉम.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में वाणिज्य, गणित या अर्थशास्त्र विषयों के साथ उत्तीर्ण।
4. **बी.सी.ए.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में विज्ञान वर्ग में गणित विषय के साथ उत्तीर्ण।
5. **बी.बी.ए.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।
6. **बी.एफ.ए.–** इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता

1. सम्बन्धित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिशा निर्देश

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर में वोकेशनल की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में कौशल विकास की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

4. **आंतरिक मूल्यांकन (25 अंक)**
   a. क्लास टेस्ट
   b. प्रेजेन्टेशन
   c. प्रोजेक्ट रिपोर्ट/सेमिनार
   d. छात्र की उपस्थिति रिकार्ड एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभागिता।

जाँच सूची

आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों की जाँच अवश्य कर लें।

1. आवेदन पत्र हर दृष्टि से पूर्ण हो तथा घोषणा अभ्यर्थी व उसके पिता/अभिभावक के द्वारा ही हस्ताक्षरित हो। **अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।**
2. पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो आवेदन–पत्र के साथ जमा करें। सभी प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।
3. आवेदन पत्र के साथ श्रेणी (वर्ग) उप श्रेणी (उपवर्ग) आदि की उपर्युक्त प्रविष्टियाँ आवेदन–पत्र में सही जगह भर दें, अन्यथा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
4.

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों–

1. मूल आवेदन पत्र/प्रवेश फॉर्म ।
2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रति।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रति।
4. स्नातक या समकक्ष परीक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रति।
5. चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
6. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.)/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) अधिभार सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं छाया प्रति।
8. निर्धारित शैक्षणिक शुल्क।
9. एन्टी–रैगिंग सम्बन्धित दो शपथ–पत्र (विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा) प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संस्था की परिकल्पना–

1. छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।
2. आत्मनिर्भर एवं प्रबुद्ध नागरिक समुदाय विकसित करने में सहायता करना।
3. युवाओं में चरित्र–निमार्ण का सम्बर्धन करना।

संस्था का विशिष्ट उद्देश्य–

1. सभी विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास करना, मुख्यतः ग्रामीण समुदाय को दृष्टिगत रखते हुए।
2. समुदाय के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
3. स्वस्थ पर्यावरण का संरक्षण एवं सम्वर्धन करना।

सामान्य नियम

1. प्रत्येक छात्र/छात्राओं को अनुशासित, सचेष्ट तथा सतर्क रुप में आचरण करना होगा। कक्षा में समय से आना, शान्ति बनायें रखना, प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्राथमिकता होगी।
2. छात्र/छात्रा को अपना परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखना होगा। किसी भी प्राध्यापक या प्राक्टर द्वारा कभी भी माँगा जा सकता है।
3. महाविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने एवं छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने वाले छात्र/छात्रा का परीक्षा फॉर्म रोक दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय के सभी शुल्कों का समय से भुगतान करना प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसी भी विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र तभी दिया जायेगा जब वह महाविद्यालय के सभी शुल्क जमा कर देगा तथा सभी सम्बन्धित विभागों एवं पुस्तकालय से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेगा।
5. महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने, लगातार अनुपस्थित रहने, शान्ति व्यवस्था भंग करने तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल होने के कारण विद्यार्थी को महाविद्यालय से कभी भी निष्कासित किया जा सकता है।
6. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है तथा इसमें संलिप्त पाये जाने पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7. किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश को रखने या निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को **छात्रवृत्ति फार्म** प्राप्त कर भरना आवश्यक है। **छात्रवृत्ति फार्म न भरने पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं** होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये तिथि के अनुसार भरना आवश्यक है।
3. परीक्षा फार्म का प्रिंट आउट जमा करने हेतु महाविद्यालय में परीक्षा कार्यालय से सम्पर्क करें।
4. परीक्षा फार्म न जमा करने की स्थिति में परीक्षा से वंचित माना जायेगा।
5. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा फार्म जमा नहीं करता है तो इसका उत्तरदायित्व विद्यार्थी का स्वतः होगा।
6. परीक्षा फार्म न जमा करने पर विद्यार्थी को शुल्क वापस नहीं किया जायेगा तथा उसे पुनः प्रवेश लेते समय पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
7. **एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा और न ही शुल्क वापस किया जायेगा।**
8. पुस्तकालय से पुस्तक नियमानुसार प्रदान की जायेगी।
9. **किसी भी दशा में शुल्क वापसी की व्यवस्था नहीं है।**
10. महाविद्यालय में सम्पन्न होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों की प्रतिभागिता अपेक्षित है। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
11. जो विद्यार्थी संगीत, कला, वाद–विवाद, भाषण, लेखन व अन्य विद्या में पारंगत हैं, वे प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को महाविद्यालय से पारितोषिक प्रदान किया जाता है।
13. कक्षा में मोबाइल फोन/गुटखा/अन्य नशीली पदार्थ का सेवन वर्जित है। कक्षा में मोबाइल फोन बजने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा बार–बार गलती करने पर अन्य कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय में विद्यार्थियों से पठन–पाठन में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
15. महाविद्यालय में परीक्षा काल में कक्षों में छात्र/छात्रा के पास प्रवेश–पत्र, आधार कार्ड, पेन, पेन्सिल, स्केल, स्केच पेन के अतिरिक्त कोई भी कागज व इलेक्ट्रानिक सामान अनुचित साधन प्रयोग की श्रेणी में आयेगा।

परीक्षा आवेदन–पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन–पत्र आनलाइन शुद्ध एवं पूर्णरुप से केवल एक भाषा में (हिन्दी/अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का मिश्रण नहीं) भरकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस कार्य में विद्यार्थियों को विशेष रुप से सावधान रहना चाहिए।

परीक्षा आवेदन–पत्र के जाँच पत्र में विषयों/प्रश्न–पत्रों का नाम शुद्ध रुप से भरने या लिए गये विषयों एवं प्रश्न–पत्रों को परीक्षा आवेदन–पत्र, कम्प्यूटर प्रोफार्मा एवं जॉच पत्र में न लिखने पर उन विषयों के प्रश्न–पत्रों में परीक्षा न दे पाने पर उत्तरदायित्व विद्यार्थी का स्वयं का होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र में विषयों/प्रश्न–पत्रों का नाम शुद्ध रुप से भरने हेतु सम्बन्धित विभाग/परीक्षा विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

जो विद्यार्थी अपना परीक्षा आवेदन–पत्र सम्यक् रुप से भरकर योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंक–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक जमा कर देंगे, केवल उन्हीं का परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रसारित किया जायेगा। अपूर्ण, अस्थायी प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा आवेदन–पत्र किसी भी अवस्था मे अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

नामांकन

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में नामांकित होने के लिए प्रवेश शुल्क जमा करते समय **नामांकन आवेदन–पत्र** भरना आवश्यक है। नामांकन आवेदन–पत्र के साथ विद्यार्थियों को अपनी पूर्व शिक्षण संस्था से प्राप्त **स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/प्रवजन प्रमाण–पत्र** की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रतिभूति धन की वापसी बी.ए. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए

परीक्षाफल घोषित होने के तीन महीने बाद आवेदन करने पर छात्र को प्रतिभूति–धन लौटा दिया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न करने पर यह धन कालातीत होकर प्रतिभूति–कोष में जमा रहेगा।

अनुशासनिक नियम एवं निर्देश

आप एक विद्यार्थी के रुप में महाविद्यालय के सदस्य है और आशा की जाती है कि आप अपने क्रियाकलापों एवं आचरण के प्रति सचेत रहकर महाविद्यालय के गौरव की अभिवृद्धि करेंगे। एतद् नियमित प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है–

1. प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय–पत्र प्राप्त होगा जिसे सदैव अपने पास रखना आवश्यक है और महाविद्यालय अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा मांगने पर तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. **परिचय–पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होगा।**

3. परिचय–पत्र के गायब हो जाने या किसी दूसरे का परिचय–पत्र प्राप्त हो जाने की सूचना छात्र को महाविद्यालय कार्यालय में अवश्य देनी चाहिए।
4. जिस छात्र का मूल परिचय–पत्र गायब हो जायेगा, उसे महाविद्यालय कार्यालय में रु0 50.00 शुल्क जमा करके परिचय–पत्र प्राप्त करना होगा।
5. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने हेतु इच्छुक छात्र को इसके लिए अलग से रु0 20 शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए उसे आवश्यक सूचनाओं के साथ कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र भी देना होगा।
6. किसी छात्र द्वारा अन्य के परिचय–पत्र का प्रयोग करना गैर अनुशासनात्मक गतिविधि माना जायेगा।
7. किसी भी छात्र द्वारा रैगिंग में संलिप्तता दण्डनीय अपराध है।

विशेष ध्यातव्य नियम

यह विशेष ध्यातव्य है कि आप जब तक महाविद्यालय में रहें, यहाँ के नियमों एवं अनुशासन का पूर्ण पालन करें।

1. महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरूद्देश्य इधर–उधर घूमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र–तत्र दो चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढंग से बातें करना।
2. महाविद्यालय के किसी भी कक्षा या बरामदे में या प्रांगण में धुम्रपान करना।
3. महाविद्यालय भवन की दीवारों या और कहीं पर पोस्टर चिपकाना या लिखना। अन्य किसी तरह की स्थायी विकृति जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेंकना।
4. किसी अधिकारी, प्राध्यापक या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता आदि न बताना।
5. महाविद्यालय का कोई भी छात्र/छात्रा परेशानी या किसी तरह की अनुशासंनहीनता की दशा में प्राचार्य या प्राक्टोरियल बोर्ड से सम्पर्क करें।
6. महाविद्यालय में पठन–पाठन, अनुशासन, पुस्कालय से सम्बन्धि होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्वलिखित रुप में प्राचार्य को अवगत करायें।
7. पीड़ित होने की दशा में प्राचार्य या प्राक्टोरियल बोर्ड से सम्पर्क करें।
8. महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना।

साइकिल स्टैण्ड

विद्यार्थियों की सुविधा के महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्टैण्ड में ही साइकिल/वाहन जमा करने के पश्चात् टोकन अवश्य प्राप्त कर लें। साइकिल/वाहन में ताला लगाकर ही रखे। साइकिल/वाहन खो जाने पर महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा एवं छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित होना पड़ सकता है। विद्यार्थी को समय–समय पर अपनी उपस्थिति के विषय में अवगत होते रहने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(क).विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति की न्यूनता सम्बन्धित सूचना के लिए समय–समय पर सूचना पट्ट पर सूचनाएँ प्रकाशित की जाती है। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने पाल्यों का पूरा ध्यान रखेंगे।

(ख).प्राध्यापक अपनी कक्षा–पंजिकाओं में भी उपस्थिति का ब्यौरा रखते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सम्बन्धित प्राध्यापकों से समय–समय पर अपनी उपस्थिति की जानकारी के लिए सम्पर्क करते रहेंगे।

परिसर साक्षात्कार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित **"करियर एवं काउन्सिलिंग सेल"** महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कैरियर हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन प्रदान करता है। विभिन्न ख्यातिलब्ध संस्थाओं से रिसोर्स पर्सन्स को आमंत्रित कर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उनसे परिसंवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा परिसर साक्षात्कार की माँग पर छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार सम्पन्न कराया जाता है।

रियायती रेलवे यात्रा

रेलवे के नये नियम के अनुसार रियायती रेलवे यात्रा के लिए केवल ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा तथा शीतावकाश में छात्रों को घर जाने के निमित्त ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। प्रवेश आवेदन–पत्र में

उल्लिखित स्थायी पते पर ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। स्थायी पते में परिवर्तन होने पर प्राचार्य को सप्रमाण तुरन्त सूचित करें अन्यथा परिवर्तित पते पर कन्सेशन की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयाँ है, जिसके द्वारा समाज–सेवा के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। इसमें सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेते समय भारांक देय होता है। इस योजना हेतु कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 लक्ष्मी सिंह एवं डॉ0 अमिता श्रीवास्तव से पंजीकरण के लिए इच्छुक विद्यार्थी सम्पर्क कर सकते है।

रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नातक छात्रों के लिए रोवर्स प्रशिक्षण शिविर एवं स्नातक छात्राओं के लिए रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। रोवर्स/रेंजर्स में पंजीकरण के लिए कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 अमिता श्रीवास्तव एवं डॉ0 सुरेश कुमार सिंह से इच्छुक विद्यार्थी सम्पर्क कर सकते है।

योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वर्ष पर्यन्त होता रहता है। इच्छुक छात्र–छात्रा डॉ. लक्ष्मी सिंह (संस्कृत विभाग) से सम्पर्क कर सकते है।

एन.सी.सी.

महाविद्यालय में छात्रों हेतु एन.सी.सी. (2UP EME COY NCC) की इकाई कार्यरत है, जिसके प्रमाण–पत्र के आधार पर विभिन्न स्तरों पर भारांक निर्धारित है। पंजीकरण हेतु इच्छुक छात्र 2UP EME COY NCC द्वारा नियुक्त केयर टेकर ऑफिसर डॉ0 सुरेश कुमार सिंह से सम्पर्क कर सकते है।

सूचना प्रसारण

महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल–कूद, प्रवेश तथा परीक्षा विषयक और अन्य समस्त आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाओं को सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.jppgc.com पर देख सकते हैं। महाविद्यालय की दैनिक गतिविधियों से अवगत होते रहने के लिए छात्रों को नियमित रुप से सूचना–पट्ट का अवलोकन करते रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक आवश्यक महाविद्यालयीय गतिविधियों की जानकारी से वंचित हो जायेंगे और ऐसी अवस्था में अनेक सुअवसरों का लाभ न उठा पाने के उत्तरदायी वे स्वयं होंगे।

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित सूचना भी समय–समय पर सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.jppgc.com पर देख सकते है। इस विषय में जानकारी हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करें।

कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन

महाविद्यालय में पंजीकृत शैक्षणिक स्तर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाता है तथा पठन–पाठन से सम्बन्धित सारी दिक्कतें एवं परेशानियों को विभागों द्वारा यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

समय–समय पर महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में छात्र–छात्राओं को अवगत कराया जाता है साथ ही सम्बन्धित परीक्षाओं की तैयारी भी अध्यापकों द्वारा कराया जाता है जो निःशुल्क होता है।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाक्षिक गोष्ठियों का आयोजन

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रत्येक 15 दिन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक छात्र को अपनी प्रस्तुति अनिवार्य रूप से देनी होती है।

इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्रोजेक्ट

इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्रोजेक्ट के पोर्टल के माध्यम से छात्र प्रोफेशनल स्किल से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का चयन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। ये कोर्सेस महाविद्यालय में पंजीकृत सभी छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इसकी जानकारी हेतु प्रो. संगीता गुप्ता, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी से सम्पर्क कर सकते है।

परीक्षा विभाग

अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण अंक–पत्रों के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा सम्बन्धी किसी अन्य समस्या के लिए भी इस प्रकोष्ठ से सम्पर्क किया जा सकता है।

जगतपुर पी.जी. कालेज, जगतपुर, वाराणसी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के अनुसार सत्र 2024–2025 का शुल्क विवरण

शुल्क विवरण				
कक्षा	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा शुल्क	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	कैशल विकास, मिडटर्म परीक्षा, डाटा संग्रह शुल्क	सम्पूर्ण शुल्क
बी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 1600.00	रु0 5850.00	रु0 750.00	रु0 8200.00
बी.एस–सी. प्रथम वर्ष	रु0 1750.00	रु0 12000.00	रु0 750.00	रु0 14500.00
बी.कॉम. प्रथम वर्ष	रु0 1750.00	रु0 11500.00	रु0 750.00	रु0 14000.00
एम.कॉम. प्रथम वर्ष	रु0 2150.00	रु0 15850.00	—	रु0 18000.00
एम.ए. हिन्दी प्रथम वर्ष	रु0 2150.00	रु0 10850.00	—	रु0 13000.00
एम.ए. मनोविज्ञान प्रथम वर्ष	रु0 2150.00	रु0 10850.00	—	रु0 13000.00
एम.ए. अंग्रेजी प्रथम वर्ष	रु0 2150.00	रु0 10850.00	—	रु0 13000.00
बी.एफ.ए. प्रथम वर्ष	रु0 1750.00	रु0 11250.00	—	रु0 13000.00
एम.ए. समाजशास्त्र	रु0 2000.00	रु0 1012.00	200	रु0 3212.00
एम.ए. इतिहास	रु0 2000.00	रु0 1012.00	200	रु0 3212.00

कक्षा	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा शुल्क	प्रथम सेमेस्टर शुल्क	प्रथम किस्त	द्वितीय सेमेस्टर शुल्क (द्वितीय किस्त)	सम्पूर्ण शुल्क
बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 1750.00	रु0 18250.00	रु0 20000.00	रु0 13000.00	रु0 33000.00
बी.बी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 1750.00	रु0 13250.00	रु0 15000.00	रु0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी (भौतिक)	रु0 2150.00	रु0 12850.00	रु0 15000.00	रु0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी. (रसायन)	रु0 2150.00	रु0 12850.00	रु0 15000.00	रु0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी. (गणित)	रू0 2150.00	रू0 7850.00	रू0.10000.00	रू0 10000.00	रू0 20000.00
एम.ए. (गृहविज्ञान)	रु0 2150.00	रु0 7850.00	रु0 10000.00	रू0 10000.00	रु0 20000.00
शोध शुल्क (समाजशास्त्र)	रु0 5000.00				

<u>नोट</u>

1. महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बी.सी.ए., बी.बी.ए., **एम. एस–सी.–भौतिक विज्ञान, एम.एस–सी.–रसायन एवं एम.ए.–गृहविज्ञान** हेतु दो किस्तों में शुल्क जमा करने की विशेष व्यवस्था प्रदान की गयी है।
2. समस्त शुल्क महाविद्यालय के यूको बैंक शाखा जगतपुर में ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
3. बी.ए., बी.एस–सी., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.बी.ए. व बी.एफ.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में बृद्धि होती है तो परीक्षा फार्म भरते समय अतिरिक्त परीक्षा शुल्क अनिवार्य रुप से देय होगा।
4. चालान बैंक में जमा करने के पश्चात सम्बन्धित विभाग/संकाय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु शुल्क रसीद विभाग/संकाय से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

धन्यवाद